न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :— प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07 / 2003 (बांसवाड़ा आर्डर)

1. श्रीमती कंचन पत्नी पेमा जी लबाना, निवासी बड़ा डुंगरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. गिरवरसिंह पिता जवानसिंह जी, निवासी बड़ा डुंगरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. जसवन्त पिता प्रेम जी लबाना, निवासी बड़ा डुंगरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. दिनेश पिता जवानसिंह जी, निवासी बड़ा डुंगरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. बलवन्तसिंह पिता जवानसिंह जी, निवासी बड़ा डुंगरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. श्रीमती भोली पत्नी जवानसिंह जी, निवासी बड़ा डुंगरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. मांगीलाल प्रेम जी लबाना, निवासी बड़ा डुंगरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. सूर्या पिता जवानसिंह जी, निवासी बड़ा डुंगरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. श्रीमती सरस्वती पुत्री कान्तिलाल जी लबाना, निवासी बड़ा डुंगरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

बनाम

1. निलेश पिता मदनलाल जी लबाना, निवासी बड़ा डुंगरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती कुसुम देवी पत्नी निलेश जी लबाना, निवासी बड़ा डुंगरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. मगनलाल पिता गणपत जी लबाना, निवासी बड़ा डुंगरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. नटवर पिता गणपत जी लबाना, निवासी बड़ा डुंगरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम— 19[illegible] विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़
दिनांक 04.01.2023 प्रकरण सं. 1/23

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:56 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उपस्थित(वक्त बहस) 1– श्री महेन्द्र मेनारिया अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रे. सं. 1 से 3

——::——

निर्णय दिनांक 30–01–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डुंगरा बडा में आराजी नंबर 1203/393, 425, 426 कुल किता 3 रकबा 0.8724 हैक्टर भूमि स्थित है जो वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी विपक्षी संख्या 3 मौके पर आकर मारपीट करते हैं तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं तथा आराजी नंबर 1203/393 में जी.सी.बी. मशीन से खुदाई करने लगे व सीमेंट, गिट्टी आदि डालकर मकान बनाने की धमकी देते हैं। अतः प्रतिवादीगण को तत्काल अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करें तथा प्रार्थीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 04–07–2023 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21–11–2023 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:56 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 [illegible] का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के [illegible] की जानकारी उन्हें सर्वप्रथम दिनांक 05–11–2023 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण नहीं दर्शाया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04–07–2023 की अपील दिनांक 21–11–2023 को प्रस्तुत की है, जबकि अपील प्रस्तुत करने की अवधि 60 दिवस होकर दिनांक 03–09–2023 तक अपील प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। अपील प्रस्तुत करने में करीब 2½ माह का विलम्ब हुआ है, जो अल्प विलम्ब होने के कारण तथा प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली के अवलोकन व सीमा ज्ञान के उपरान्त प्रकरण में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी थी, जो दिनांक 04–07–2023 तक निरन्तर जारी थी। अपीलान्ट ने सीमा जानकारी हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रखा था, जिस संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा दिनांक 18–03–2018 को भी पूर्व में सीमा जानकारी टीम गठित करने का तहसीलदार सज्जनगढ़ से निवेदन कर रखा था। तत्पश्चात् दिनांक 01–02–2003 को संबंधित पटवारी द्वारा मौका पर्चा बनाया गया एवं अपनी रिपोर्ट में अपीलान्टगण के सर्वे नंबर 1203/393 एवं रेस्पोन्डेन्टगण के सर्वे नंबर 450 के मध्य 10 से 12 फिट भूमि का विवाद होना अभिकथित किया गया तथा खसरों की निशानदेही सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट या गठित दल द्वारा किये जाने संबंधी रिपोर्ट दी गयी एवं पक्षकारों को यथास्थिति हेतु पाबन्द किया गया, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है एवं सीमा जानकारी आने से पूर्व ही जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:56 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 2011 Page 52, RRT 2011 (1) Page 107, RRT 2009 (1) Page 141, RRD 2012 Page 42, RRT 2018 (1) Page 601, RRT 2011 (1) Page 329, RRD 2011 Page 777 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधिवत विवेचन करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अपीलान्टगण ने रेस्पोन्डेन्ट की भूमि को अपनी बताकर विवाद उत्पन्न किया है, जबकि वादग्रस्त आराजियात अपीलान्ट के खातेदारी एवं स्वामित्व की नहीं है। अपीलान्टगण स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2006-07 (Supp.) Page 368, RRD 1996 Page 389 प्रस्तुत की।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन कर प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह माना कि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत होता हो कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा हो। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होना मानकर प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होना प्रकट होता है। हमारे सम्मुख भी अपीलान्टगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्टगण के खातेदारी भूमि में रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा किसी प्रकार की दखलन्दाजी की जा रही हो। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलान्ट के पक्ष में सिद्ध नहीं होते हैं और जहां अस्थायी निषेधाज्ञा के उक्त तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित करने में प्रार्थीगण असफल रहते हैं, वहां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:56 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, जैसाकि अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर RRT 2006-07 (Supp.) Page 368 के अवलोकन से स्पष्ट होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं। इस संबंध में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनका हमारे द्वारा अध्ययन किया गया, किन्तु उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04–07–2023 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 30–01–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ★ उदयपुर ★ सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:56 IST
Reason: SelfAttested